बीएसएनएल पर 2.79 करोड़ बकाया

# सीजीएम के बैंक खाते सीज

## ठेका मजदूरों के ईपीएफ की राशि की वसूली के लिए हुई कार्रवाई

पत्रिका एक्सक्लूसिव

सुस्मिता श्रीवास्तव @ रायपुर
raipur@patrika.com

कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त ने बीएसएनएल छत्तीसगढ़ मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। यह कार्रवाई बीएसएनएल में कार्यरत ठेका मजदूरों के ईपीएफ (2 करोड़ 79 लाख रुपए) की वसूली के लिए किया गया है। बीते दिनों बीएसएनएल ठेका मजदूर यूनियन द्वारा दर्ज मामले में मजदूरों के पक्ष में फैसला आया था। इसमें बीएसएनएल प्रबंधन को राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। बीएसएनएल प्रबंधन ने केंद्रीय ट्रिब्यूनल में इसे चुनौती दी, पर वहां भी हार गए। पढ़ें सीजीएम @ पेज 8

### यह है मामला

बीएसएनएल प्रबंधन ठेका मजदूरों के वेतन से ईपीएफ काट तो रहा था, लेकिन उस रकम को खाते में नहीं डाल रहा था। यह राशि बढ़ते-बढ़ते 2 करोड़ 79 लाख रुपए हो गई। वर्ष 2007 में ईपीएफ न्यायालय में बीएसएनएल ठेका मजदूर यूनियन के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आर.के. नागरची, प्रदेश उपाध्यक्ष साजू वी. थॉमस तथा प्रदेश महासचिव स्व. अरुण कुमार दसरिया ने मामला दायर किया था।

ठेका मजदूर यूनियन के हक में फैसला हुआ है, जिसके तहत ईपीएफ की राशि को लेकर बीएसएनएल छत्तीसगढ़ परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक के बैंक खाते को सीज किया है।

**रामलखन गुप्ता,**
सहायक आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि